फाइल सं. 1-6/2013-ईसीसीई

भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 3 जनवरी, 2014

सेवा में,

1. आईसीडीएस स्कीम देख रहे 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रधान सचिव/सचिव
2. आईसीडीएस स्कीम देख रहे 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निदेशक

विषय : आईसीडीएस के सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए शाला-पूर्व शिक्षा (पीएसई) किटों के प्रावधान के लिए दिशानिर्देश के संबंध में।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप जानते हैं, अनौपचारिक शाला-पूर्व शिक्षा (पीएसई) समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम के अंतर्गत प्रमुख सेवाओं में से एक है। पुनर्गठित और सुदृढ़ीकृत आईसीडीएस के अंतर्गत, देखरेख और शुरूआती अधिगम पर अतिरिक्त ध्यान के साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा (ईसीसीई) को अहम स्थान पर रखते हुए आंगनवाड़ी केंद्र को जीवंत ईसीडी केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है।

2. इस संबंध में अनुपालन के लिए आईसीडीएस सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए पीएसई किटों के प्रावधान के लिए दिशानिर्देशों की प्रति संलग्न है।

3. कृपया उपर्युक्त दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। कृपया पावती भेजें।

भवदीय

14.1.21

(राकेश कुमार)

निदेशक, भारत सरकार

प्रतिलिपि:

I. सीडी-I अनुभाग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
II. निदेशक निपसिड

आईसीडीएस सुदृढ़ीकरण तथा पुनर्गठन के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए शाला-पूर्व शिक्षा किटों के प्रावधान के लिए दिशानिर्देश

सेवाओं के सुदृढ़ीकृत पैकेज के अंतर्गत अनौपचारिक शाला-पूर्व शिक्षा (पीएसई) समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम के अंतर्गत एक निर्णायक घटक है। इसका उद्देश्य छोटे बच्चों का समग्र विकास करना है। आईसीडीएस के अंतर्गत अनौपचारिक शाला-पूर्व शिक्षा खेल आधारित तथा गतिविधि आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से प्रदान की जाती है।

1. विकास के सभी क्षेत्रों जैसे कि शारीरिक, प्रेरणा पेशी (मोटर), भाषा, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, वैयक्तिक तथा सौन्दर्य बोध तथा संवेदनात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक विकासशील तथा आयु के अनुकूल उपयुक्त प्रसंगाधीन पाठ्यचर्या क्रियान्वित की जानी है। यह सुनिश्चित किया जाना है कि छोटे बच्चों की विकास संबंधी सभी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अधिगम के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया जाता है।

2. स्थानीय तथा सांस्कृतिक दृष्टि से प्रासंगिक खेल और अधिगम सामग्रियों से युक्त पीएसई किट का प्रयोग करके इस पाठ्यचर्या के संपादन में सहायता प्रदान की जाएगी।

3. पीएसई किट का निर्माण करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा निम्नलिखित व्यापक दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।

3.1 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सभी प्रचालनरत आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए 3000 रुपए प्रति आंगनवाड़ी केंद्र प्रतिवर्ष तथा 1500 रुपए प्रति लघु आंगनवाड़ी केंद्र प्रतिवर्ष की दर से प्रत्येक वर्ष पीएसई किट उपलब्ध कराई जाएगी।

3.2 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास एक से अधिक किट अथवा अधिक घटकों या गुणवत्ता की दृष्टि से बेहतर घटकों/सामग्रियों वाली संवर्धित किट उपलब्ध कराने अथवा एक या अधिक किटों में आयु के अनुरूप टीएलएम (अध्ययन-अध्यापन सामग्री) या कोई अन्य संयोजन रखने का विकल्प होगा।

3.3 किट की एक मूलभूत सूची इसके साथ संलग्न की जा रही है। इस सूची में उल्लिखित मदें तथा मात्रा केवल निर्देशात्मक हैं न कि सर्वांगीण। प्रत्येक मद के सामने उल्लिखित कुल मदों का अभिप्राय अनिवार्य रूप से एक ही प्रकार की मद से नहीं है (उदाहरणार्थ, 2 कठपुतली का अभिप्राय है – एक बन्दर तथा एक शेर की कठपुतली न कि सिर्फ बन्दर की 2 कठपुतलियां)। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा कार्यक्रम के संचालन के लिए सामग्री की प्रासंगिकता पर ध्यान देते हुए यथा-संभव

अधिक से अधिक विविधता उपलब्ध कराने के लिए मदों का प्रापण किया जाना चाहिए। विशिष्ट स्थानीय जरूरतों तथा संसाधनों को ध्यान में रखते हुए किट की मदों को अंतिम रूप देने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों (एससीईआरटी) के विशेषज्ञों आदि से परामर्श कर सकते हैं।

3.4 किटों की सामग्रियां बड़े समूहों, छोटे समूहों तथा पृथक-पृथक बच्चों के लिए गतिविधियां संचालित करने के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। सामग्री बच्चों को आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए ताकि बच्चे अपनी इच्छानुसार खेल/समय तथा व्यक्तिगत कार्यकलापों के दौरान सामग्री का प्रयोग कर सकें। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को सामग्री उपयुक्त ढंग से व्यवस्थित करना चाहिए तथा रख-रखाव करना चाहिए। बच्चे भी सामग्रियों को संभालकर रखने की शिक्षा अवश्य ग्रहण करें।

3.5 अनेक आयु-वर्ग के परिवेश में, केंद्र में आने वाले सभी बच्चों की विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सामग्रियों को उपयुक्त ढंग से सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए। सामग्री की मात्रा छोटे समूह के कार्यकलापों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी बच्चों को सामग्री का प्रयोग करने का अवसर मिलता है।

3.6 किट के लिए प्राप्त की गई सामग्री बच्चों के लिए सुरक्षित (विष रहित तथा धार आदि रहित), पर्यावरण की दृष्टि से प्रासंगिक, किफायती, रख-रखाव करने में सरल होनी चाहिए तथा इससे संवेदनात्मक, शारीरिक, प्रेरणा पेशी (मोटर), भाषा, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, वैयक्तिक तथा सौन्दर्य बोध जैसे सभी क्षेत्रों में समग्र विकास को प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

3.7 स्थानीय रूप से उपलब्ध, किफायती कच्चे माल से खेल तथा अधिगम सामग्री विकसित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, माताओं, किशोरों तथा किशोरियों तथा समाज के अन्य सम्बद्ध सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए तथा उन्हें खेल और अधिगम सामग्री के रूप में वातावरण के संसाधनों का प्रयोग करने में भी समर्थ होना चाहिए।

3.8 अभिभावकों, पंचायतों, युवा क्लबों, स्थानीय शिल्पकारों तथा समाज के अन्य सदस्यों की सहायता से स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके खिलौना भंडारों (बैंक), पुस्तकालयों, गतिविधि कार्नर्स, गीत तथा कहानी संग्रह (बैंक) की स्थापना में स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से स्थानीय समुदाय तथा अन्य भागीदारों को शामिल करके पीएसई किट संपूरित की जाए।

3.9 पीएसई किट के लिए सामग्री जुटाने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रत्यायन समूहों जैसे कि आश्रय गृहों, स्वयं सहायता समूहों, आजीविका समूहों, महिला गृहों, पुनर्वास केंद्रों, लोक कलाकार समूहों की पहचान कर सकते हैं।

3.10 भारत सरकार आईसीडीएस (सामान्य) स्कीम के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को समय-समय पर सहायता अनुदान निर्मुक्त करती है। पीएसई किट प्राप्त करने के लिए व्यय 3000 रुपए प्रति आंगनवाड़ी केंद्र प्रतिवर्ष तथ 1500 रुपए प्रति लघु आंगनवाड़ी केंद्र प्रतिवर्ष के वित्तीय मानदंडों के अध्यधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त किए गए अनुदान में से वहन किया जाना चाहिए।

3.11 प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को निदर्शनात्मक सूची के अनुसार पीएसई किटों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए तथा किए गए व्यय की सूचना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजे गए त्रैमासिक एसओई (व्यय विवरण) में विधिवत भेजी जानी चाहिए।

पीएसई किट के लिए संशोधित मानदंड

स्तर	वित्तीय मानदंड (रुपये प्रति किट, प्रति यूनिट, प्रतिवर्ष)	हिस्सेदारी का अनुपात (केंद्र: राज्य)	अभ्युक्तियां
आंगनवाड़ी केंद्र	3,000	90:10	किट का प्रापण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर किया जाएगा तथा पीएसई किट के लिए सांकेतिक मदें नीचे दर्शाई गई हैं।
लघु आंगनवाड़ी केंद्र	1,500	90:10	

पीएसई किट के लिए सांकेतिक मदें

क्र. सं.	पीएसई किट के घटक	प्रति किट मात्रा
1.	भूमिका निभाने के लिए कठपुतली/गुड़िया	4
2.	बिल्डिंग ब्लॉक्स (40 का सेट)	1 पैक
3.	नाटकीय खेल के लिए सहायक सामग्री	5 सहायक सामग्री
4.	स्ट्रिंग एंड बीड्स (रंगीन)	2 सेट
5.	पैड, कागज़, रंगीन, ए-4 साइज़, सादा 50 शीट	1 पैक

क्र. सं.	पीएसई किट के घटक	प्रति किट मात्रा
6.	मेमोरी गेम (32 कार्ड का सेट)	2 पैक
7.	स्लेटें	5
8.	शैक्षिक खिलौने (लेसिंग जानवर)/पहेली (मानव शरीर, जानवर आदि)/आकार के कट आउट्स आदि	4 सेट
9.	पूर्व पठन/लेखन कार्ड एंड फ्लिप-बुक्स (4 का सेट)	1 सेट
10.	कहानी दर्शाने वाले कार्ड/चार्ट	5
11.	क्ले/प्लैस्टिसीन	5
12.	रंग (जल, स्कैच एवं मोम), पेंट करने के लिए ब्रश	5 सेट
13.	गेंदे	5
14.	नियोजित कार्यकलापों के लिए आवश्यकतानुसार स्थानीय देशज सामग्री	